बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/क्यू0–12–05/2024(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..

श्री (प्रो0) संजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् द्वारा 192वें सत्र में तारांकित प्रश्न सं0–153 दिनांक–09.07.2019 द्वारा पूछा गया कि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–526(4) दिनांक–17.05.2018 के आलोक में सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–4127 दिनांक–07.06.2018 द्वारा कतिपय लिपिक को स्थानांतरित किया गया, परन्तु विरमित नहीं किया गया। पुनः सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–2144 दिनांक–07.03.2019 द्वारा उक्त लिपिक को सिविल सर्जन कार्यालय, पटना में पदस्थापित कर दिया गया।

2. विभागीय पत्रांक–946(4) दिनाक–05.07.2019 द्वारा स्थानांतरित लिपिक को पुनः स्थानांतरण करने के आरोप में डा0 प्रमोद झा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. डा0 झा द्वारा दिनांक–16 07.2019 को स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया कि श्री राज कमल, लिपिक द्वारा पत्नी की अस्वस्थता को अंकित करते हुए शहरी परिवाद कल्याण केन्द्र, खगौल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। उनके अभ्यावेदन पर श्री कृष्णा प्रसाद गुप्ता, लिपिक द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. विभागीय पत्रांक–947(4) दिनांक–05.07.2019 के आलोक में डा0 के0 के0 मिश्रा, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा अवगत कराया गया है कि सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–2012 दिनांक–06.03.2019 द्वारा श्री राजकमल, लिपिक के स्थानांतरण के आवेदन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया गया था। मंत्रिमण्डल, सचिवालय, बिहार के पत्रांक–434 दिनांक–01.03.2007 एवं पत्रांक–881 दिनांक–03.06.2009 एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–658(3) दिनांक–05.10.2006 एवं पत्रांक–1456(4) दिनांक–08.12.2017 के निहित प्रदत शक्ति के अधीन मानवीय आधार पर श्री राजकमल के आवेदन को अनुमोदित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 मिश्रा एवं डा0 झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके कृत्य से राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। वे क्रमशः दिनांक–31.03.2019 एवं 31.12.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है। अतएव उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डा0 मिश्रा एवं डा0 झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/क्यू0–12–05/2024(स्वा0) ...192(9)... **/ पटना, दिनांकः–** 04.03.25

प्रतिलिपिः–डा0 के0 के0 मिश्रा, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 प्रमोद झा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/उप सचिव, (स्थापना) स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी

28/01/2025

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/04/2025

सरकार के अवर सचिव।